

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

67वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 26-03-2003

का

कार्यवृत्त

सुनियोजित विकास, प्राधिकरण के साथ

मेरठ विकास प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26-03-2003 का
कार्यवृत्त


मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 67वीं बैठक दिनांक 26-3-2003 को मेरठ विकास प्राधिकरण के सभागार में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 3-30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे :-

1.	श्री एन०एस०रवि आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2.	श्री प्रभात मित्तल उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3.	श्री रमारमण जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4.	श्री ए०एन०सिंह अपर निदेशक, उद्योग मेरठ।	सदस्य
5.	श्री अनिल राज कुमार मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री एस०के०जमा चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर (प्रतिनिधि-आयुक्त, एन०सौ०आर०)	सदस्य
7.	श्री राजपाल कौशिक सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ)	सदस्य
8.	श्री अतुल कुमार सिंह संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ। (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ)	सदस्य


मेरठ विकास प्राधिकरण
बोर्ड

सचिव
लघुपत्रकालीन वित्तीय विभाग

9. श्री आरोलोगोयल सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता
जलनिगम, मेरठ।
*(प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, जलनिगम, उप्रोशासन)
लखनऊ।
10. श्री राजेश्वर दयाल सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत (नगर), मेरठ।
(प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, पावर कार्पोरेशन, लखनऊ)
11. श्री राजकुमार सिंह सदस्य
सभासद, नगर निगम, मेरठ।
12. श्री मंगलसैन सदस्य
सभासद, नगर निगम, मेरठ।
13. श्री मौहो जाहिद अन्सारी सदस्य
सभासद, नगर निगम, मेरठ।
14. श्री मौहम्मद अब्बास सदस्य
सभासद, नगर निगम, मेरठ।
15. श्री अभय कुमार बाजपेई संयोजक
सचिव, विकास प्राधिकरण, मेरठ।



श्री राकेश प्राधिकरण
मेरठ



उपेन्द्र प्राधिकरण
मेरठ



मद संख्या - 1

प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25-11-2002 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25-11-2002 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

मद संख्या - 2

प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25-11-2002 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25-11-2002 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या की स्थिति से सचिव द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया।

अनुपालन मद संख्या-2 (बैठक दिनांक 25-11-2002)

प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु जिन ग्रामों की भूमि अधिगृहीत की गयी थी, मे वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रस्तावित कार्यों के कार्यान्वयन का प्रगति विवरण सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के माननीय सदस्यों को यह भी "अवगत कराया गया" कि लोहिया नगर आवासीय योजना व शताब्दी नगर योजनाओं के ग्रामों के कृषकों के द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से खेती की जा रही है, जिसके फलस्वरूप इन योजनाओं के आवंटियों को उन्हें आवंटित भूखण्डों का वास्तविक कब्जा दिये जाने तथा विकास कार्यों को कराये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इससे जहां एक ओर प्राधिकरण की छवि धूमिल होती है वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण को वित्तीय हानि भी हो रही है। आवंटित भूखण्ड का कब्जा समय पर न मिलने पर सम्बन्धित आवंटियों के द्वारा मौके पर विकास कार्य पूर्ण नहीं होने तथा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं दिलाने के आधारों पर माननीय जिला फोरम में प्राधिकरण के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में वाद दायर किये जा रहे हैं। इन वादों में से अधिकांश वादों

में प्राधिकरण के विरुद्ध निर्णय होता है तथा प्राधिकरण को आवंटियों द्वारा जमा करायी गयी धनराशि ब्याज सहित लौटानी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त संदर्भित गांवों में कराये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए अपेक्षा की कि निर्माण कायों में तेजी लाई जाये। माननीय सदस्य श्री मंगलसैन के द्वारा कंकरखेड़ा से नंगला तक सडक बनाये जाने तथा माननीय सदस्य श्री मौहम्मद अब्बास द्वारा ग्राम काशी तक के मार्ग का सुदृढीकरण तथा विद्युतीकरण कराये जाने की प्रबल मांग की जिसपर विचारोपरान्त इन दोनों कार्यों को कार्ययोजना में सम्मिलित करने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया।

अनुपालन मद संख्या-3 (बैठक दिनांक 19-6-2002)

माननीय सदस्य श्री मंगलसैन, श्री जाहिद अंसारी, मौहम्मद अब्बास एवं श्री राज्जकुमार सिंह के द्वारा बैठक में इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य को 25-25 सोडियम लाईट अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत लगवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाये। विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सदस्य को 25-25 सोडियम लाईट पृथक-पृथक स्वीकृत किये जाने के स्थान पर बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में 25-25 सोडियम लाईट का एक प्रोजेक्ट तैयार कर उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा धन की उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्यों को क्रियान्वित कराया जायेगा।

अनुपालन मद संख्या - 4 (दिनांक 25-11-2002)

शासनादेश संख्या 3281/9-आ-1-02-71 डीए/02 दिनांक 17-1-2003 एवं शासनादेश संख्या 1212/9-आ-1-02-71 डीए/02 दिनांक 4 मार्च 2003 के द्वारा गंगा नगर आवासीय योजना में दधीचि शिक्षा प्रचार समिति को विद्यालय हेतु आवंटित भूखण्ड को परिवर्तित करते हुए उक्त के स्थान पर इसी योजना में हैल्थ सैण्टर हेतु आरक्षित भूखण्ड को जनहित में दधीचि शिक्षा प्रचार समिति को विद्यालय के लिए आवंटित कर दिये जाने तथा वर्तमान में विद्यालय के लिए

आवंटित भूमि को हैल्थ सैण्टर हेतु आरक्षित करने हेतु शासन के निर्देशों का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 10 (दिनांक 25-11-2002)

गंगा नगर आवासीय योजना के कृषकों को अतिरिक्त भुगतान करने के सम्बन्ध में पारित परिचालन प्रस्ताव दिनांक 4-1-2003 का बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन करते हुए अपेक्षा की गयी कि सहमति के बिन्दुओं के आधार पर यथाशीघ्र आगामी तिथि पर माननीय न्यायालय में सहमति पत्र दाखिल करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करायी जाये।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 3 (दिनांक 25-11-2003)

सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पल्लवपुरम आवासीय योजना में 24, गंगा नगर आवासीय योजना में 09 भवनों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों से भवन खाली कराये गये तथा यह भी अवगत कराया गया कि अभी भी 25 भवनों में प्राधिकरण के कर्मी 09 भवनों में पुलिस कर्मी अवैध रूप से अध्यासित हैं। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि जो प्राधिकरण कर्मी प्राधिकरण के भवनों में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं उनसे उक्त भवन खाली कराकर अबतक की अध्यासन अवधि का किराया वसूल किया जाये तथा इसी प्रकार अनाधिकृत रूप से प्राधिकरण के भवनों में निवास कर रहे पुलिस कर्मियों से भी भवन खाली कराने की कार्यवाही की जाये।

मौहम्मद अब्बास, सदस्य प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह मांग की गयी कि प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों/पार्षदों को अभी तक कोई कक्ष आवंटित नहीं किया गया है अतः उन्हें एक कक्ष आवंटित किया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण इस निमित्त उपयुक्त व्यवस्था कराएं।

अनाधिकृत/अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही/प्रगति से सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा बोर्ड के माननीय सदस्यों अवगत कराया गया। सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्याप्त पुलिस बल समय पर प्राप्त न होने के कारण अनेकों मामलों में

अनाधिकृत निर्माणों को तोड़े जाने की प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पायी है। माननीय सदस्यों द्वारा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गयी कि अनाधिकृत निर्माणों पर कड़ा नियंत्रण, सील एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जाये। अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भाँति मेरठ विकास प्राधिकरण में भी पुलिस स्टाफ की स्थायी व्यवस्था करने हेतु कार्यवाही की जाये।

सरधना मार्ग पर ग्राम नगलाताशी के खसरा संख्या 230, 231, 196 व 197 पर किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि पर अनेकों स्थानों पर अवैध निर्माण कर लिये गये हैं तथा काफी मात्रा में ऐसी अधिगृहीत भूमि भी है जिसपर अधिगृहण के उपरान्त प्राधिकरण को भौतिक कब्जा अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है किन्तु सम्बन्धित काश्तकारों के द्वारा मुआवजा भी प्राप्त किया जा चुका है। इस बिन्दु पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि पर अवैध कब्जो के सम्बन्ध में दो माह के अन्दर विस्तृत सर्वे कराकर एक रिपोर्ट तैयार भी जाये ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। यह भी अपेक्षा की गयी कि इस आशय की जानकारी भी कर ली जाये कि किन-किन मामलों में अवैध अध्यासियों के द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने के उपरान्त भी अधिगृहीत भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है।

मद संख्या - 3

प्रारूप मेरठ महायोजना-2021

मेरठ महायोजना प्रारूप 2021 को सहयुक्त नियोजक द्वारा पावर आफ पाइट की स्लाईड्स पर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरठ नगर के विगत दशकों में हुए विकास तथा अन्य विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मेरठ नगर की वर्ष 2021 तक के लिए की विकास की प्रस्तावना, लैण्ड यूज

पालिसीज इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तार से प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया। श्री मौहम्मद अब्बास पार्षद द्वारा जन समस्या को उद्धृत करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग व रिचार्जिंग के प्राविधानों का भी उक्त महायोजना में ध्यान रखने का सुझाव दिया गया इस सम्बन्ध में महायोजना में वर्तमान तालाबों को सुरक्षित रखे जाने व भवन उपविधि के प्राविधानों से बोर्ड को अवगत कराया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा माइक्रोलेवल प्लानिंग पर जोर देते हुए महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्रों के जोनल प्लान्स तैयार करने की प्रक्रिया अभी से प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही नगर के भावी विकास हेतु इन्फारट्रॉक्चर के लिए चरणबद्ध प्लान भी तैयार कराये जाने का निर्णय लिया गया। प्रारूप मेरठ महायोजना 2021 को उपरोक्त सुझावों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी तथा शीघ्र महायोजना प्रारूप पर आपत्तियां/सुझाव आमन्त्रित करने का निर्णय लिया गया। प्रारूप महायोजना-2021 पर प्राप्त होने वाली आपत्तियां/सुझावों पर सुनवाई कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया है:-

1-	उपाध्यक्ष, मे0वि0प्रा0 मेरठ	अध्यक्ष
2-	*मुख्य नगर नियोजक, मे0वि0प्रा0	सदस्य
3-	चीफ कोर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0सेल, गाजियाबाद	सदस्य
4-	अपर जिलाधिकारी-नगर	सदस्य
5-	अधीक्षण अभियंता, लो0नि0विभाग, मेरठ	सदस्य
6-	मौ0 अब्बास, सदस्य प्रा0बोर्ड	सदस्य
7-	श्री मंगल सैन, सदस्य, प्रा0बोर्ड	सदस्य
8-	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ	संयोजक

मेरठ महायोजना-2021 पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति सहित उक्त महायोजना को प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मद संख्या-4

गंगानगर योजना में काश्तकारों से हुए समझौते के आधार पर अतिरिक्त आवासीय भूखण्डों की आवश्यकतानुसार विभिन्न पाकेट्स का पुर्णनियोजन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा उपरान्त जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति एवं गंगानगर योजना के कृषकों के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत लैन्ड होल्डिंग के आधार पर आवासीय भूखण्ड प्रभावित काश्तकारों को उपलब्ध कराये जाने के बिन्दु के दृष्टिगत गंगानगर आवासीय योजना के पार्केट जी,के,एन एवं एल के भूखण्डों का पुर्णनियोजन के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर0 द्वारा मत व्यक्त किया गया कि उक्त पुर्णनियोजन के समय डेनिसिटी सब्सीटेन्शयली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।

मद संख्या-5

डिफैन्स एन्कलेब आवासीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण लेखा मैनुअल-2002 के लागू हो जाने के फलस्वरूप सम्पत्ति आबंटन पर प्राधिकरण द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया जाने के उपरान्त हुए 49 पंजीकरणों के निमित्त उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण लेखा-मैनुअल-2002 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कास्टिंग के बिना हुए ही योजना की पूर्व प्रचलित दर रुपये 1590/- प्रति वर्गमीटर से 49 आवेदकों के पक्ष में आबंटन किये जाने बिषयक प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा इस आशय का मत व्यक्त किया गया कि जिस उद्देश्य से डिफैन्स एन्कलेब आवासीय योजना में डिफैन्स एन्कलेब रेजीडेन्ट सोसायटी को सैन्य आवेदकों को भूखण्ड आवंटित करने का कार्य सौंपा गया था इस संस्था द्वारा इस उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। यद्यपि सैन्य आवेदकों के नाम से भूखण्डों का आवंटन किया जाता है किन्तु कुछ समय बाद अनेकों मामलों में सम्बन्धित सैन्य आवंटियों के द्वारा आवंटित भूखण्ड को सिविलियन को विक्रय कर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था से उन उद्देश्यों की प्रथमदृष्टया पूर्ति नहीं हो रही है जिन


सन्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उद्देश्यों के लिए यह कार्य डिफैन्स एन्कलेव रेजीडेन्ट सोसायटी को सौंपा गया था। अतः बोर्ड के माननीय सदस्यों के द्वारा विचारोपसन्त इस प्रकार की व्यवस्था की उपादेयता पर परीक्षण करके का निणय लिया गया साथ ही बोर्ड के द्वारा 49 सैन्य आवेदकों के पक्ष में डिफैन्स एन्कलेव रेजीडेन्ट सोसायटी के द्वारा पुरानी दर पर पंजीकरण के प्रतिबन्ध के होते हुए भी पंजीकरण किये जाने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए इन आवेदकों के पक्ष में रुपये 1590/- प्रति वर्ग मीटर की पुरानी दर पर आवंटन किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपेक्षा की गयी कि ऐसे पंजीकृत आवेदक जो नई दरों पर भुगतान करने को सहमत हों को भूखण्ड आवंटित कर दिये जायें अन्यथा उनकी पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जाये।

मद संख्या - 6

मेरठ विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2002-2003 का पुनरीक्षित एवं 2003-2004 का प्रस्तावित आय-व्ययक।

मेरठ विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक श्री जगदीश चन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 का पुनरीक्षित एवं 2003-2004 का प्रस्तावित आय व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में राजस्व आय रुपये 885.00 लाख, पंजीगत आय रुपये 32280.00 लाख कुल आय रुपये 14165.00 लाख की आय का अनुमान प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 03 तक राजस्व आय 499.30 लाख पूंजीगत आय 11198.21 लाख कुल आय रुपये 11697.51 लाख की हुई तथा वित्तीय वर्ष 2003-04 हेतु राजस्व आय में रुपये 905.00 लाख, पूंजीगत आय में रुपये 16451.00 लाख रुपये कुल आय 17356.00 लाख की आय होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में राजस्व व्यय रुपये 1266.70 लाख पूंजीगत व्यय 12612.00 लाख रुपये कुल व्यय रुपये 13878.70 लाख का अनुमान प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2003 तक राजस्व व्यय मद में रुपये 1014.24 लाख पूंजीगत व्यय 10202.68 लाख कुल व्यय रुपये

11216.92 लाख का व्यय हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2003-04 हेतु राजस्व व्यय मद में रूपये 1155.20 लाख पूंजीगत व्यय रूपये 15973.00 लाख कुल व्यय 17128.20 लाख का व्यय प्राविधान प्रस्तावित है।

विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित संशोधनों के साथ प्रस्तावित आय-व्ययक 2003-2004 सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

1- विधिक व्यय एवं प्राधिकरण के भवनों के रख-रखाव हेतु प्राविधानित धनराशि में मितव्ययता बरती जाये।

2- वाहनों का फ़्यूल एवं मरम्मत बजट में एक ही शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाये तथा बजट प्राविधान वर्ष 2002-2003 के बराबर ही अगले वर्ष में रखा जाये।

3- मलबा शुल्क के मद में रूपये 15.00 लाख के स्थान पर रूपये 50.00 लाख का प्राविधान वर्ष 2003-04 के लिए रखा जाये। यह भी अपेक्षा की गयी कि दिनांक 31-3-2003 तक नगर निगम मेरठ को देय मलबा शुल्क का भुगतान धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाये।

मद संख्या - 7

बाह्य विकास शुल्क की दरों के पुर्णनिर्धारण के सम्बन्ध में।


प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 25-11-2002 के अनुपूरक मद संख्या-2 में बाह्य विकास की दरों के सम्बन्ध में एक समिति गठित की गयी थी समिति की बैठक दिनांक 7-3-2003 में की गयी संस्तुतियों पर बोर्ड के माननीय सदस्यों के द्वारा विचार-विमर्श के दौरान समिति के सदस्यगण सहयुक्त नियोजक, मुख्य नगर नियोजक एवं श्री राजकुमार, सदस्य प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा अवगत कराया गया कि समिति की बैठक के कार्यवृत्त में बाह्य विकास शुल्क की दरों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव के क्रम संख्या- 1 व 2 के कॉलम-4 में 150 रुपये प्रतिवर्गमीठर कुल क्षेत्रफल पर बाह्य विकास शुल्क की दरें प्रस्तावित की गयी है जबकि वार्षिक रूप से इन मदों में प्लाटेड क्षेत्रफल पर बाह्य विकास शुल्क की दरें विगत कई बर्षों से ली जा रही है तथा समिति का आश्य प्लाटेड एरिया से ही था किन्तु टंकण त्रुटिवश कुल क्षेत्रफल अंकित हो गया। बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त समिति की उक्त संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए




मेरठ विकास प्राधिकरण
Meerut Development Authority

बाह्य विकास शुल्क की दरों को निम्न संशोधनों के साथ स्वीकार करते हुए बाह्य विकास शुल्क की नवीन दरों को 1-4-2003 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्र०सं०	उपयोग	पूर्व स्वीकृत दर	प्रस्तावित दर
1	2	3	4
1	आवासीय		
	जहां आंतरिक विकास कार्य तलपट मानचित्र के अनुसार बिल्डर्स द्वारा कराया जाना है एवं वहां बाह्य विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।	75/-रु० प्रति वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल पर	रुपये 125/- प्रति वर्ग मीटर प्लाटेड एरिया पर
2	व्यवसायिक		
	जहां आंतरिक विकास कार्य तलपट मानचित्र के अनुसार बिल्डर्स द्वारा कराया जाना है एवं वहां बाह्य विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।	75/-रु० प्रति वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल पर	रुपये 150/- प्रति वर्ग मीटर प्लाटेड एरिया पर
3क	औद्योगिक		
◆	जहां आन्तरिक विकास कार्य तलपट मानचित्र के अनुसार, बिल्डर्स द्वारा कराया जाना है एवं बाह्य विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।	70/- प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर	रुपये 100/- प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर
ख	उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम को प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क	35/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर
4	संस्थागत		
	इसके अन्तर्गत स्कूल, कालेज आदि शामिल हैं जहां आन्तरिक विकास कार्य तलपट मानचित्र के अनुसार बिल्डर्स द्वारा कराया जाना है एवं बाह्य विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।	75/- प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर	100/- प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर


 उचित
 अर्थ विकास प्राधिकरण
 दिल्ली


 उपायकाल
 अर्थ विकास प्राधिकरण
 दिल्ली

मद संख्या - 8

शताब्दी नगर सैक्टर-4सी में आवंटित भूखण्ड संख्या जी-86 में
देय ब्याज रूपये 34,614.50 माफ किये जाने हेतु

प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त प्रकरण पर
सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मानवीय आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित किया
गया।

मद संख्या - 9

मेरठ के बारातघर के सरल शमन योजना के अन्तर्गत तथा स्वीकृति हेतु
प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्ध में।

सरल शमन योजना के अन्तर्गत बारातघर के उपयोग हेतु 10 मानचित्र
शमन हेतु पूर्व में प्राप्त हुए तथा 2 अन्य बारातघरों के प्राप्त नवीन शमन
प्रस्तावों पर जोनिंग रेग्लेशन्स के अन्तर्गत गठित कमेटी की बैठक दिनोंक
7-3-2003 में की गयी संस्तुतियों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श के उपरान्त
बोर्ड द्वारा समिति की उक्त संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया। समिति द्वारा
8 प्रकरणों में बारातघरों के निर्माण को शमन योग्य पाया गया है। बोर्ड द्वारा
विचारोपरान्त अपेक्षा की गयी कि इन आठ बारातघरों के भू-स्वामियों को इस
आशय का नोटिस भेजा जाये कि वह एक माह के अन्दर समिति द्वारा
उल्लिखित शर्तों को पूर्ण कर लें, जिससे कि इन बारातघरों द्वारा किये गये अवैध
निर्माण के शमन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। अंमृत मैरिज होम,
आशीर्वाद विवाह मण्डप, उत्सव पैलेस, पायल मण्डप, बारातघरों को समिति के
द्वारा शमन योग्य नहीं पाया गया है। बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया
कि यदि इन चार बारातघरों के स्वामियों द्वारा समिति द्वारा उल्लिखित आपत्तियों
का निराकरण एक माह के अन्दर कर लिया जाता है तो इनके प्रकरण पर
पुर्णविचार किया जाना सम्भव हो सकेगा। एक माह के अन्दर कोई प्रस्ताव प्राप्त
न होने पर चारों बारातघरों के अवैध निर्माणों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही
की जाये। बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गयी कि बारातघर से सम्बन्धित मानचित्रों को
स्वीकृत करते समय पार्किंग स्थल, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी आदि पर

सचिव

समिति का सदस्य

विशेष बल दिया जाये। महायोजना में निर्धारित मार्गाधिकार पर किसी भी प्रकार के निर्माण को शमन न किया जाये तथा जो भी निर्माण मार्गाधिकार में आते हैं, उन बारातघर के स्वामियों से उक्त वर्णित निर्माण हटाने की कार्यवाही की जाये बोर्ड द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि जोनिंग रेगुलेशन में यदि इम्पैक्ट फीस का प्राविधान है तो इसकी वसूली भी प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जाये।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आवास एवं विकास परिषद व कैन्ट में निर्मित बारातघरों के मामलों में भी, प्राधिकरण बोर्ड की भावनाओं का उल्लेख करते हुए आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं कैन्ट बोर्ड को तदनुसार अवगत कराते हुए बारातघरों के मामलों में कार्यवाही कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

मद संख्या - 10

अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

मुख्य नगर नियोजक के द्वारा बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25-11-2002 में लिये गये निर्णय के अनुसार 10 अनाधिकृत कालोनियों यथा- सम्राट एन्कलेव, आशियाना, गुप्ता कालोनी, विद्या नगर, जयदेवी नगर, मोना विहार, भरत विहार, रामवती पुरम, मंगलपुरी, शिवशक्ति नगर एक्सटेंशन का विस्तृत सर्वेक्षण प्राधिकरण स्टाफ से कराकर इन सभी अनाधिकृत कालोनियों के विकास कार्य हेतु एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये :-

1- उपरोक्त 10 अनाधिकृत कालोनियां जिनका एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है, के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति जारी करके इन कालोनियों में निवास कर रहे निवासियों से अपने भवनों के नियमितीकरण/शमन हेतु मानचित्र स्वीकृत कराने का अनुरोध किया जाये तथा इस हेतु कालोनियों में कैम्पस लगाये जाये तथा मानचित्रों की स्वीकृति/शमन से प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रयोग इन कालोनियों के बाह्य विकास हेतु किया जाये।

मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

2- मेरठ महानगर में अवरिथत समस्त अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण 2 माह के अन्दर कराया जाये, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मेरठ महानगर में कितनी अनाधिकृत कालोनियां अवरिथत हैं।

3- 10 अन्य अनाधिकृत कालोनियों का विस्तृत सर्वेक्षण आगामी 2 माह में करते हुए उनके विकास/नियमितीकरण हेतु एकशन प्लान तैयार कर लिया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय सदस्य श्री मौहम्मद अब्बास के द्वारा किंदवई नगर में एयरटेल के द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये टावर का निर्माण करने का उल्लेख किये जाने पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विधि अनुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भविष्य में अनाधिकृत टावर्स का निर्माण न होने पाये।

मूल एजेण्डा समाप्त हो जाने के उपरान्त माननीय सदस्यों के समक्ष विगत में परिचालन से पारित निम्नलिखित प्रस्तावों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

1- गंगा नगर योजना के कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

2- शासनादेश संख्या का 0नि0-5-412/11-203-312(286)/2002 दिनांक 23 जनवरी, 2003 द्वारा पावर आफ एटोर्नी होल्डर्स के पक्ष में प्राधिकरण से सीधे विलेखों के पंजीयन हेतु प्रसारित कार्ययोजना के अनुक्रम में शासन द्वारा दिये गये आदेशों के परिपालन हेतु प्राधिकरण के सम्पत्ति निस्तारण के विनियमों में यथा आवश्यक संशोधन व शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के समावेशन हेतु प्रस्ताव।

3- मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजनान्तर्गत ग्राम कंचनपुर घोपाला की अर्जित भूमि गाटा संख्या 35,48, 49, 50,56, 59, 87,88,90,92,93,272, 276,277, 295 292, 293,290, 289 व 432 जो ग्राम की पुरानी आबादी से मिला है और उनपर भू-स्वामियों के मकानात बने होने के कारण भौतिक कब्जा लिया जाना सम्भव नहीं है, के समायोजन के सम्बन्ध में।

4- शासनादेश संख्या 4380/9-आ-1-आयकर/2002 दिनांक 24 सितम्बर, 2002 के साथ प्राप्त गाईड लाईन्स के प्रस्तर 12 के अनुसार आयकर अधिनियम

के प्रस्तर-145(2) के अनुसार एकाउन्टिंग पॉलिसी के परिचालन प्रस्ताव पर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

5- डिफैन्स एन्कलेव, सैनिक विहार, श्रद्धापुरी फेस-प्रथम व द्वितीय तथा पल्लवपुरम आवासीय योजनाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30-4-97 से अधिगृहीत भूमि के बढ़ाये गये मुआवजे के सापेक्ष इन योजनाओं के आवंटियों से उनको आबंटित परिसम्पत्तियों में निहित भूमि का प्रति वर्ग मीटर मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में चार्टेड एकाउण्टेंट की प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए इन योजनाओं में पुनः निर्धारित विकसित भूमि की दरों के आंधार पर अतिरिक्त देय धनराशि की गणना कर आवंटियों से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही किये जाने विषयक परिचालन प्रस्ताव।

6- बारातघर/उत्सव भवन के निर्माण हेतु शासन से प्राप्त मानकों को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

7- मेरठ नगर की यातायात एवं उसके सुगम आवागमन के उद्देश्य से रेलवेरोड एवं बागपत रोड को 36 मीटर चौड़े मार्ग से मिलाने हेतु योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मद संख्या - 11

अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित अनुपूरक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

अनुपूरक मद संख्या - 1

प्राधिकरण की लोहिया नगर योजना में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को 132 के0वी0 क्षमता का सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु आबंटित भूमि के निमित बिलम्ब समिति से जमा धनराशि के फलस्वरूप देय दण्ड ब्याज मुक्ति हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रधान
श्री राम प्रतिकर्त्ता
मेरठ

* अनुपूरक मद संख्या -2

प्राधिकरण की पल्लवपुरम आवासीय योजना फेस-2 पाकेट पी में भारतीय विकलांग मित्र संस्था के पक्ष में आबंटित शैक्षिक भूखण्ड सं0-पी0एस0-1 में देय दण्ड ब्याज के मुक्ति हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या -3

प्राधिकरण की श्रद्धापुरी आवासीय योजना के सैक्टर-3 में सी0जी0एच0एस0 विभाग के पक्ष में आबंटित भूखण्ड सं0-3/ए-1 पर देय दण्ड ब्याज के मुक्ति हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या -4

गंगानगर योजना में “बस टर्मिनस/बस अडडा” हेतु दर्शित भूमि के नियोजन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या -5

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पुलिस चौकी/स्टेशन हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की पल्लवपुरम, गंगा नगर, लोहियानगर, शताब्दी नगर एवं वेदव्यासपुरी आवासीय योजनाओं में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस स्टेशन/चौकी की स्थापना हेतु पुलिस विभाग की न्यूनतम आवश्यकता के आधार

पर योजना में भूमि की उपलब्धता पर आवासीय भूमि दरों के 50 प्रतिशत की दर पर पुलिस विभाग को पुलिस स्टेशन/चौकी के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

माननीय सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया कि मेरठ महानगर में कतिपय राजकीय/परिषदीय, प्राईमरी/जूनियर हाईस्कूल के भवनों की स्थिति अत्यन्त जीर्णशीर्ण है। इन स्कूलों हेतु मेरठ महानगर में भवन निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि की अनुपलब्धता के कारण उक्त स्कूल जीर्णशीर्ण भवनों से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं हो पा रहे हैं। बोर्ड के सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि राजकीय/परिषदीय, प्राईमरी/जूनियर हाईस्कूल हेतु विशिष्ट प्रकरणों में भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन्हें निःशुल्क भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाये।

अनुपूरक मद संख्या -6

सनातन धर्म सभा, कंकरखेड़ा, मेरठ की श्रद्धापुरी आवासीय योजना में ग्राम दोंतल की अर्जित भूमि खसरा संख्या-72 क्षेत्रफल 0-7-15-0 बीघा (980 वर्गमीटर) भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सनातन धर्म सभा के द्वारा चलाये जा रहे कन्या विद्यालय में यदि रियायती दरों पर फीस ली जा रही हो तो अन्यत्र चलाये जा रहे कन्या विद्यालय के विस्तार हेतु गाटा संख्या-72 क्षेत्रफल 980 वर्ग मीटर को अर्जन से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।

अनुपूरक मद संख्या -7

श्री विश्वन सिंह को गंगानगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या पी-114 की देय किश्तों पर दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

श्रीराम विश्वन सिंह
मेरठ विभाग प्राधिकारी

अनुपूरक मद संख्या -8

गंगा नगर आवासीय योजना में उच्च आय वर्ग भूखण्ड संख्या आई-1 में ब्याज माफी के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त गंगा नगर आवासीय योजना के उच्च आय वर्ग भूखण्ड संख्या आई-1 में देय ब्याज माफी के प्रस्ताव को विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमोदित किया गया तथा इसको दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

Lopen. _____
मेरठ निकाय प्राधिकारी
दोस्रा

Me

आमुक्त / अध्यक्ष
मेरठ मण्डल / विकास प्राधिकारी
मेरठ।